दस हजार से अधिक भक्त पहुंचे गजासीन धाम

इंदौर. उषा नगर स्थित गजासीन शनिधाम पर दो दिवसीय शनि जयंती महोत्सव डॉ. दादू महाराज के सानिध्य में आयोजन हुआ, जिसमें दस हजार से अधिक भक्त शनि धाम पहुंचे.

मंदिर को आकर्षक विद्युत के साथ फूलों से सजाया गया साथ ही 500 किलो बासमती चावल, 600 किलो शक्कर, 500 किलो आटा, 25 तेल के डिब्बे के साथ शनि देव का श्रृंगार किया गया. सामग्री का उपयोग भक्त मंडल की प्रसादी के लिए उपयोग में किया जाएगा. रात 8 बजे पालकी यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर उषा नगर क्षेत्र में भ्रमण कर पुन: मंदिर परिसर पहुंची तत्पश्चात महाआरती की गई. साथ ही भजन संध्या का आयोजन भी शुरू हुआ, जिसमें अनेक सुप्रसिद्ध गायकों ने अपनी हाजरी लगाई. ई चमक ई दमक भजन फेम पं. सुधीर व्यास, गीतेश भार्गव, विजय बेगडे, सौरभ लाडला व शीतल होलकर (ऑक्टोपेड) लोकेश उपाध्याय (ढोलक), चेतन (तबला), संजय गौहर (बैंजो) द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई. संचालन पप्पू हार्डिया ने किया. इस अवसर पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक गोलू शुक्ला, पार्षद हरप्रीत कौर लूथरा, पार्षद योगेश गेंदर, महंत तुकाराम महाराज, महंत प्रकाश महाराज, कथा वाचक मोहन भाई, सरपंच कमल धनगर, अर्चना जायसवाल, प्रताप तोलानी आशीष साहू, संजय अग्रवाल, संदीप अंबेकर, नवीन मंडलोई, नानेश तायड़े उपस्थित थे.

कलेक्टर ने जिले में चिन्हित ब्लैक स्पॉट में संकेतक लगाने के निर्देश दिए

झाबुआ। कलेक्टर नेहा मीना की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की गाइडलाइन अनुसार ब्लैक स्पॉट, जिले में सड़क दुर्घटना, पंजीकृत वाहन, चालानी कार्यवाहियों के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में कलेक्टर ने जिले में चिन्हित ब्लैक स्पॉट ग्राम बोरवा गड्डु घाटी कुशलगढ़ मार्ग थांदला में संकेतक लगाये जाने के निर्देश दिए। हाल ही में बोलासा घाट थाना रायपुरिया में सड़क दुर्घटना होने से रम्बल स्ट्रिप एवं संकेतक लगाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही एसडीएम और एसडीओपी द्वारा संयुक्त रूप से भ्रमण कर सुधारात्मक उपाय हेतु रिपोर्ट दिए जाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष अब तक बिना हेलमेट, शराब पीकर दोपहिया वाहन चलाना और मोबाईल पर बात करते हुए वाहन चलाने से सम्बन्धी 5380 चालानी कार्यवाही की है। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सिग्नल पर ब्लिंकर्स लगाए जाए, नगरों में नो पार्किंग के बोर्ड लगाए जाए, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में अस्थाई पार्किंग की व्ययस्था की जाए, स्कूल बसों एवं अन्य बसों का फिटनेस, बीमा और परमिट की जांच की जाए। कलेक्टर ने कहा कि स्कूली छात्र-छात्राओं को ले जाने वाले वाहनों में सुनिश्चित किया जाए कि ओवर लोडिंग ना हो, छात्र छात्राओं की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ ना होने पाए। साथ ही उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन अनुसार निजी और शासकीय विद्यालयों को बसों के संचालन हेतु पत्र लिखकर समझाईश दी जाए।

अवैध रूप से लगे हूटर, सायरन निकलवाए

कलेक्टर द्वारा जिले में निजी वाहनों के ऊपर अवैध रूप से लगे हूटर, सायरन निकलवाने हेतु पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। हिट एंड रन के प्रकरणों में अज्ञात वाहनों से हुई दुर्घटनाओं को भी शामिल किये जाने के निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर ने राहवीर योजना अंतर्गत भीषण दुर्घटना के दौरान गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाकर जान बचाने के लिए जागरूक किये जाने और कलेक्टर स्तर पर मूल्यांकन समिति के गठन के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सड़क सुरक्षा संबंधित बैठक अनुविभागीय स्तर पर किए जाने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल ने कहा कि सड़क सुरक्षा जागरूकता के प्रयास निरंतर जारी रखे। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए बिना परमिट वाले वाहनों की रेगुलर जांच की जाए। बैठक में अति. पुलिस अधीक्षक पीएल कुर्वे, संयुक्त कलेक्टर अक्षयसिंह मरकाम, प्रभारी जिला परिवहन अधिकारी ऋतु अग्रवाल एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

हनीमून पर गए इंदौर के दंपती 6 दिन से लापता

▸ तलाश में 50 लोगों की टीम लगाई, खाई में मिले बैग

इंदौर. शहर में रहने वाले एक दंपती की 6 दिन बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा. मेघालय पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों की टीमें गठित की हैं. छह दिन पहले शिलांग घूमने गए इंदौर के इस नवदंपती का 23 मई से कोई सुराग नहीं है. पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार सर्चिंग अभियान चला रही हैं.

मंगलवार रात तक चले सर्च ऑपरेशन में एक खाई के पास झाड़ियों में दंपती के दो बैग मिले हैं. बुधवार को फिर से सर्चिंग शुरू की गई, लेकिन भारी बारिश के कारण अभियान रोकना पड़ा. बारिश के चलते पहाड़ों से पानी तेजी से बह रहा है, जिससे राहत कार्य प्रभावित हुआ है. एक टीम खाई में उतरी, जबकि दूसरी टीम तीन किलोमीटर पहले ही रुक गई. परिजन दंपती की सलामती को लेकर बेहद चिंतित हैं. उन्होंने उनकी जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है. जिस इलाके में बैग मिले हैं, वह लूटपाट की घटनाओं के लिए कुख्यात है.

स्थानीय लोग भी यहां अकेले जाने से कतराते हैं. ज्ञात हो कि 20 मई को शहर में रहने वाले ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी उनकी पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर मेघालय गए थे. 23 मई को दोनों शिलांग के सोहरारिम क्षेत्र में लापता हो गए. उसी दिन ओसरा हिल्स के पास उनकी बाइक लावारिस हालत में मिली थी. संपर्क टूटने के बाद सोनम के भाई गोविंद ने गूगल पर बाइक रेंटल कंपनी की जानकारी निकाली और पुलिस को सूचना दी. मामला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तक पहुंच चुका है. उन्होंने मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा से फोन पर चर्चा कर खोज अभियान में तेजी लाने को कहा. इसके बाद बुधवार से सर्चिंग तेज की गई. हर सर्चिंग टीम में करीब 10 लोग शामिल हैं, जिनमें स्थानीय ग्रामीण और विलेज डिफेंस पार्टी के सदस्य हैं. गुरुवार को भी तलाश जारी रहेगी.

▸ मोबाइल लोकेशन से मिला सुराग

ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक सिएम ने बताया कि दंपती की आखिरी मोबाइल लोकेशन मावलाखाइट गांव में मिली थी. दंपती ने इससे पहले नोंग्रियाट गांव में लिविंग रूट्स ब्रिज गाइड के साथ देखा था और वहीं रात गुजारी थी.

मारपीट के पांच आरोपियों को सुनाया 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास

झाबुआ। जमीनी विवाद को लेकर मारपीट करने वाले पांच आरोपियों को हुई 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। घटना के विवरण: में बताया गया कि फरियादी 11. जुलाई 2021 को जमीन संबंधी विवाद को लेकर आरोपीगण द्वारा फरियादी जोगु पिता पारसिंह मेडा के पुत्र व उसके पिताजी के साथ मारपीट कर सिर में गंभीर चोट पहुंचाई व जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत फरियादी ने थाना झाबुआ पर दर्ज कराई, जिस पर थाना झाबुआ पर अपराध क्रमांक 687/2021 दर्ज कर विवेचना मे लिया गया। उक्त प्रकरण की विवेचना प्रधान आरक्षक जगदीश नायक द्वारा की गई। उक्त प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश झाबुआ आरके शर्मा द्वारा आरोपीगण पेमा पिता सलिया मेडा, राकेश पिता पेमा मेडा, तारसिंह पिता पेमा मेडा, अमना पिता कल्लू एवं धन्ना पिता सलिया निवासीगण उमरिया वेजत्री, झाबुआ को दोषशिद्ध पाते हुए प्रत्येक आरोपियों को धारा 307 आईपीसी के तहत पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास व 2-2 हजार रुपए के अर्थदंड से व धारा 326 आईपीसी के तहत पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास व 2-2 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण का प्रतिनिधित्व अपर लोक अभियोजक राकेश जोशी द्वारा किया गया।

तालाब में दो बच्चियां डूबी, रेस्क्यू किया शुरू

झाबुआ। पुलिस कोतवाली झाबुआ अंतर्गत ग्राम खांडियाखाल (मातुसला) तालाब में गुरुवार शाम को दो मासूम बच्चियां डूब गई। बताया गया कि बच्चियां वडलीपाड़ा गांव की रहने वाली थीं और इनकी उम्र 6 और 8 साल बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण अपने स्तर पर तुरंत तलाश में जुट गए। सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने अपने स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक दोनों बच्चियां नहीं मिली। पुलिस और गोताखोरों की टीम का इंतजार ग्रामीण कर रहे थे।

आईटीआई में युवा संगम कार्यक्रम 4 को

झाबुआ। मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भोपाल तथा रोजगार संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा जारी कैलेंडर अनुसार प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को जिला स्तरीय युवा संगम-रोजगार/स्व-रोजगार एवं अप्रेन्टिसशिप मेला आयोजित किये जाने के निर्देश के अनुक्रम में कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओं जितेन्द्रसिंह चौहान के मार्गदर्शन में 4 जून को शासकीय आईटीआई झाबुआ में प्रात: 11 बजे से युवा संगम कार्यक्रम के तहत संयुक्त रूप से रोजगार, स्व-रोजगार योजनांतर्गत जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में निजी क्षेत्र की 3-4 कंपनियों/प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि रोजगार मेले में उपस्थित होंगे। जिले के शिक्षित बेरोजगार महिला, पुरुष अभ्यर्थी जिनकी उम्र 18-35 वर्ष तथा शैक्षणिक योग्यता-5वीं से 12वीं, आईटीआई, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा एवं स्नातक उर्तीण हैं वे इस जिला स्तरीय रोजगार/स्व-रोजगार एवं अप्रेन्टिसशिप मेले के माध्यम से रोजगार प्राप्ति हेतु साक्षात्कार में सम्मिलित हो सकते हैं। संयुक्त रूप से आयोजित युवा संगम (रोजगार मेले) में स्व-रोजगार हेतु शासन की हितग्राही मूलक योजनांतर्गत हितग्राहियों को विभिन्न घटक विभागों द्वारा स्वीकृत ऋण के हितलाभ का वितरण भी किया जायेगा। इच्छुक आवेदक अपने शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य समस्त मूल प्रमाण-पत्रों, पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, समग्र आईडी एवं बायोडाटा सहित 4 जून को शासकीय आईटीआई झाबुआ में आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में उपस्थित होकर अवसर का लाभ ले सकते है।

बेशकीमती संपत्ति विवाद में दिगंबर समाज और मोदी परिवार आमने-सामने

झाबुआ. नगर के चंद्रशेखर आजाद मार्ग स्थित बाबेल चौराहे परएक बहुमूल्य भवन को लेकर दिगंबर जैन समाज और मोदी परिवार के बीच लंबे समय से चल रहा संपत्ति विवाद अब सार्वजनिक रूप से सामने आ गया है। दोनों पक्षों ने इस मामले में जिला प्रशासन के समक्ष अपनी-अपनी बाते रखी है। दिगंबर जैन समाज का दावा है कि यह भवन वर्षों पूर्व समाज द्वारा धर्मशाला के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे अब एक परिवार ने अनुचित रूप से अपने अधिकार में ले लिया है। समाज के व्यवस्थापक निलेश शाह ने जनसुनवाई के दौरान बताया की मोदी परिवार पूर्व में इस संपत्ति पर व्यवस्थापक के रूप में कार्यरत था, लेकिन अब वे स्वयं को संपत्ति का मालिक बताकर उस पर अधिकार जता रहा हैं। समाज का कहना है कि यह एक सार्वजनिक धार्मिक संपत्ति है, न कि किसी निजी व्यक्ति की। वहीं मामले में मोदी परिवार के सदस्य जिमी मोदी ने प्रशासन से स्पष्ट किया कि नगर पालिका की पूर्व की एक मानवीय त्रुटि के कारण यह संपत्ति दिगंबर जैन समाज के नाम दर्ज हो गई थी। उनका कहना है कि वास्तविक रिकॉर्ड नजूल भूमि में उनके परिवार के नाम दर्ज है और वे वर्षों से इसका उपयोग करते आ रहे हैं। उन्होंने त्रुटि सुधार हेतु आवश्यक आवेदन पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। विवादित भवन वर्तमान में पूरी तरह जर्जर हो चुका है और नगर पालिका द्वारा जारी नोटिस के अनुसार इसे ध्वस्त किया जा रहा है। निकले हिस्से में दो मार्गो पर दुकाने संचालित होती है और उपरी जीर्ण शीर्ण हिस्सा हालही में ध्वस्त किया है और इसके साथ ही दोनों पक्षों के बीच विवाद गहरा गया है। उधर प्रशासन द्वारा दस्तावेजों की जांच की जा रही है उसके बाद ही मामले की स्थिति स्पष्ट हो पायेगी।

मंत्री निवास के सामने रूई फैक्ट्री में भीषण आग

इंदौर. वीआयपी रोड स्थित कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बंगले के सामने स्थित रूई फैक्रीक में बुधवार शाम भीषण आग लग गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित हो गई. आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिग्रेड की टीम ने भारी मश्कत के बाद आग पर काबू पाया.

घटना वायर चौराहा स्थित टाटा स्टील फैक्ट्री के पास शाम के समय अचानक एक रूई फैक्ट्री में आग लग गई. आग लगते ही चारों तरफ घना धुआं फैल गया. चूंकि फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में रूई का कच्चा माल भरा था, इसलिए आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. नगर निगम की ओर से तत्काल पानी के टैंकर भी भेजे. बताया गया कि नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने स्वयं वायरलेस पर कर्मचारियों को निर्देश दिए और मौके पर संसाधन जल्द भिजवाए. तीन घंटे तक फैक्ट्री के अंदर से धुआं उठता रहा. तेज हवा के चलते लपटें आसपास तक फैल गईं, जिससे क्षेत्र के लोगों और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

कुख्यात गुंडे को सीन रिक्रिएशन के बहाने घुमाया, क्षेत्र में निकाला जुलूस

इंदौर. आजादनगर थाना क्षेत्र के कुख्यात गुंडे को पुलिस ने सीन रिक्रिएशन के लिए घटना स्थल पर ले जाकर क्षेत्र में जुलूस की तरह घुमाया. इस दौरान उसे जमकर फटकार भी लगाई, उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

एडीसीपी आलोक शर्मा ने बताया कि दो दिन पहले एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि दो बदमाशों ने शराब के लिए पैसे मांगे, इनकार करने पर मारपीट की और धमकी दी. पुलिस ने वसूली के इरादे से धमकाने के आरोप में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है, जांच में पता चला कि एक आरोपी राकेश रोकड़े है, जिस पर शहर के अलग-अलग थानों में 21 से ज्यादा केस दर्ज हैं. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी रजत फरार है उसकी तलाश जारी है. सीन रिक्रिएशन के लिए पुलिस टीम जब उसे मौके पर लेकर गई, तो वहां मौजूद लोगों ने भी उस पर नाराजगी जताई. पुलिस ने रोकड़े का इलाके में जुलूस निकाला, जिससे अन्य असामाजिक तत्वों में डर का माहौल बने. एडीसीपी ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि क्षेत्र में अपराधियों के हौसले पस्त हों.

नवभारत

एजेंसी देना है...

झाबुआ जिला

राणापुर एवं थांदला सिटी में

सम्पर्क करें :- 99260-57773

एक नजर ▸ आयसर वाहन क्रमांक रू॥03ष्ठङ्क3612 में भरी अवैध शराब की 180 पेटीया कीमत 32,75,000/- रूपयें को जब्त कर 02 आरोपी को किया गिरफ्तार

पेटलावद पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई, 180 पेटी जब्त

सारंगी। पुलिस अधीक्षक पद्मविलोचन शुक्ल के द्वारा अवैध शराब के विरुध्द् कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त होने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेमलाल कुर्वे व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कमलेश शर्मा के निर्देशन में थाना प्रभारी पेटलावद निर्भयसिंह भूरिया, चौकी प्रभारी सारंगी उप निरीक्षक दीपक देवरे व पुलिस टीम के द्वारा दिनांक 29.05.2025 को देर रात मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि बदनावर तरफ से आ रही एक आयसर वाहन क्रमांक रू॥03ष्ठङ्क3612 में अवैध शराब भरकर गुजरात तरफ ले जाई जा रही है, सूचना विश्वसनीय होने से याराना ढाबा के पास बरवेट रोड सारंगी पर वाहनों की चैकिंग करते समय एक आयसर वाहन क्रमांक *MH®xDV*3612 को रूकवाया गया व फोर्स की मदद से वाहन चालक

बिजेन्द्र पिता शान्तिलाल राठौर उम्र 34 वर्ष निवासी बोरखड थाना कोतवाली जिला अलीराजपुर हाल मुकाम खयडुबडी (पारा) थाना कोतवाली झाबुआ व क्लीनर मनीष पिता लालु बामनिया उम्र 20 वर्ष खयडुबडी (पारा) थाना कोतवाली झाबुआ को पकडा व वाहन के अन्दर पीछे बने केबिन सिस्टम के पाटेशन को चैक करते 6000 माउण्ट बियर की केन व लंदन प्राईड अंग्रेजी शराब की भरी होना पाई गई, उक्त शराब की पेटिया नीचे उतारकर देखते व गिनती करते 175 पेटी माउण्ट 6000 सुपर स्ट्रांग बियर टीन किमती 4,50,000/- रूपयें व 05 पेटी लंदन प्राईड अंग्रेजी शराब किमती 25,000/- रूपयें कुल शराब 2145 बल्क लीटर किमती 4,75,000/- रूपयें व आयसर वाहन क्रमांक *MH®xDV*3612 किमती 28,00,000/- रूपयें का जप्त कर उपरोक्त आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 186/2025 धारा 34(2), 36 आबकारी एक्ट व 318(4) बीएनएस का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। आरोपियो को माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है, इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा टीम को नगद ईनाम देने की उद्घोषणा की है। उक्त अवैध शराब को पकडने में थाना प्रभारी निर्भयसिंह भूरिया, चौकी प्रभारी सारंगी उप निरीक्षक दीपक देवरे, प्रधान आरक्षक 629 केमता चौहान, आरक्षक 13 पंकजसिंह राजावत, आरक्षक 318 अनिल मुवेल, आरक्षक 683 अजय चौहान, आरक्षक 676 प्रकाश मण्डलोई का सहरानीय कार्य रहा।